संख्या : 4900 /जी0एस0(शिक्षा)/A3-148(1)/2024

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

3 AUG 2026

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून, दिनांक जुलाई, 2026

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 241225094514, दिनांक 27.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें **सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइन्स, जाफरपुर, दिनेशपुर रोड़, पोस्ट–खानपुर पूर्व, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0एससी0–एग्रीकल्चर, बी0बी0ए0 एवं बी0सी0ए0 पाठ्यक्रमों में शैक्षिक सत्र 2025–26 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव** संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा–37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :–

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	सिक्स सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी एण्ड साइन्स, जाफरपुर, दिनेशपुर रोड़, पोस्ट–खानपुर पूर्व, रूद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0एससी0 (एग्रीकल्चर)	60 सीट	2025–26
		बी0बी0ए0	60 सीट	
		बी0सी0ए0	60 सीट	

- प्रस्ताव के साथ छात्रों के व्यवहारिक ज्ञान व प्रशिक्षण हेतु किये गये अनुबन्ध संबंधी साक्ष्य संलग्न नहीं हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि वे अस्थायी सम्बद्धता के आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व उक्त कमी को पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
- नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद् के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपित महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता

प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकर किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

- यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

Digitally signed by
Reena Joshi
Date: 01-08-2026
17:13:03
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

<u>संख्या :4900 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A3-148(1)**/2024 तद्‌दिनांकित।</u>

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य– सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से
Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 03-08-2026
11:13:50
(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।